न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अल्का शर्मा, आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 39 / 2021
(C.I.S. No.60/2021)
(CNR No. RJRS010011902021)

राजस्थान राज्य।

.... अभियोगी

विरूद्ध

1. हीरासिंह पुत्र मोतीसिंह, निवासी बड़गांव परमारों की भागल, पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद (राज.)
2. श्रीमती नाथीबाई पत्नी हीरासिंह, निवासी बड़गांव परमारों की भागल, पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद (राज.)
3. नारू पुत्र लाला, निवासी बड़गांव, पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद
4. किशन पुत्र कुरा उर्फ पुरा, निवासी रूपी टांकड़ी बड़गांव पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद (राज.)
5. भेरू पुत्र पेमाराम, निवासी बड़गांव पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद
6. प्रेमसिंह पुत्र मदनसिंह, निवासी समीचा मेफावतों का वास, पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद (राज.)

.... अभियुक्तगण

अपराध धारा 147,148, 302 / 149, 302 / 109, 201, 114, 115 भारतीय दंड संहिता

उपस्थित :–

1. श्री रामलाल जाट, विद्वान् लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।
2. श्री रामचन्द्र देवपुरा, अधिवक्ता, अभियुक्त संख्या 01 से 05 की ओर से।
3. श्री घनश्यामसिंह भाटी, अधिवक्ता, अभियुक्त संख्या 06 की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक : 14.05.2026

1. यह प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 82 / 2021 में बाद अनुसंधान दिनांक 06.07.2021 को

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुम्भलगढ़ में अभियुक्तगण हीरासिंह व नाथीबाई के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 201, 114, 115 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्तगण किशन, भेरू व प्रेमसिंह के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त नारू के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302/109 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संस्थित हुआ। चूंकि प्रकरण अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, लिहाजा इस न्यायालय को उपार्पित (Commit) किया गया, जिसे दिनाँक 23.07.2021 को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 01.04.2021 को परिवादिया श्रीमती मंजुबाई ने पुलिस थाना, केलवाड़ा के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि उसका पति उदयसिंह खेती बाड़ी व बकरी रखने का काम करता था। उसके कोई औलाद नहीं है। उसका पति खेत नामी बोलिया वाला कालोरा पर स्थित कुंए पर रखवाली हेतु खाट लगाकर वहीं सोता था। वह रात्रि 9:00 बजे खाना लेकर गई और खाना खिलाकर वापस आ गई। आज सुबह करीब 7:00 बजे चाय लेकर गई तो उसका पति खाट पर नहीं था व खाट से कुछ दूर खून पड़े थे। फिर गांव वालों ने उसके पति की तलाश की तो उसके पति की लाश कुंए में पड़ी हुई थी, जिसे गांव वालों ने बाहर निकाला तो उसके पति के सिर में दो जगह गहरे घाव हो खून आ रहे थे व ललाट में दाहिनी तरफ चोट लगी थी व बांये कान से खून आ रहे थे। उसके पति को अज्ञात व्यक्ति ने मारपीट कर मार कर कुंए में डाल दिया है ......इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, केलवाड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 82/2021 अंतर्गत धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता में मामला पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण हीरासिंह व नाथीबाई के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 201, 114, 115 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्तगण किशन, भेरू व प्रेमसिंह के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 201 भारतीय दण्ड

संहिता एवं अभियुक्त नारू के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302/109 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुम्भलगढ़ में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा बाद प्रसंज्ञान इस प्रकरण को उपार्पित कर मामला इस न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. इस न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण हीरासिंह व नाथीबाई को अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 302/149, 201, 114, 115 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्तगण किशन, भेरू व प्रेमसिंह को अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 302/149, 201 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त नारू को अपराध अन्तर्गत धारा 302/109 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 पन्नासिंह, पी.डब्ल्यू. 02 मंजुबाई, पी.डब्ल्यू. 03 अमरसिंह, पी.डब्ल्यू. 04 डॉ0 सुधीर शर्मा, पी.डब्ल्यू. 05 विरमसिंह, पी.डब्ल्यू. 06 नाथुसिंह, पी.डब्ल्यू. 07 प्रकाशसिंह, पी.डब्ल्यू. 08 मोतीसिंह, पी.डब्ल्यू. 09 शंकरसिंह, पी.डब्ल्यू. 10 भीमसिंह, पी.डब्ल्यू. 11 स्वरूपसिंह, पी.डब्ल्यू. 12 डूंगरसिंह, पी.डब्ल्यू. 13 राकेश, पी.डब्ल्यू. 14 मुकेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 15 सुमित्रा, पी.डब्ल्यू. 16 प्रदीपसिंह, पी.डब्ल्यू. 17 डॉ0 नगेन्द्रपाल, पी.डब्ल्यू. 18 राकेशसिंह, पी.डब्ल्यू. 19 अशोक कुमार व पी.डब्ल्यू. 20 शैतानसिंह को परीक्षित करवाया गया।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया :–

क.सं.	**प्रदर्श**	**दस्तावेज**
1	प्रदर्श पी. 1	परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी. 2	फर्द नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी. 3	फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी

4	प्रदर्श पी. 4	फर्द जब्ती खून आलूदा कपड़े की लूंगी, टाट की बोरियां, चद्दर
5	प्रदर्श पी. 5	फर्द पंचायतनामा लाश
6	प्रदर्श पी. 6	फर्द सुपुर्दगी लाश
7	प्रदर्श पी. 7	मृतक की लाश का पोस्टमॉर्टम कराने बाबत तहरीर
8	प्रदर्श पी. 8	मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
9	प्रदर्श पी. 9	नानुसिंह के पुलिस बयान
10	प्रदर्श पी. 10	फर्द मौका तस्दीक द्वारा मुलजिमान हीरासिंह, नाथीबाई, किशन व नारूराम
11	प्रदर्श पी. 11	फर्द मौका तस्दीक द्वारा मुलजिमान किशन, भेरू व प्रेमसिंह
12	प्रदर्श पी. 12	फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल
13	प्रदर्श पी. 13	फर्द बरामदगी स्थल कुल्हाड़ी
14	प्रदर्श पी. 14	फर्द बरामदगी स्थल गैंती का बैंसा
15	प्रदर्श पी. 15	फर्द बरामदगी स्थल टी–शर्ट
16	प्रदर्श पी. 16	फर्द जब्ती शराब के खाली पव्वे
17	प्रदर्श पी. 17	फर्द जब्ती कुल्हाड़ी व टीशर्ट
18	प्रदर्श पी. 18	फर्द जब्ती गैंती का बैंसा व शर्ट
19	प्रदर्श पी. 19	फर्द जब्ती टीशर्ट
20	प्रदर्श पी. 20	पुलिस बयान गवाह प्रकाशसिंह
21	प्रदर्श पी. 21	पुलिस बयान गवाह मोतीसिंह
22	प्रदर्श पी. 22	पुलिस बयान गवाह भीमसिंह
23	प्रदर्श पी. 23	पुलिस बयान गवाह स्वरूपसिंह
24	प्रदर्श पी. 24	पुलिस बयान गवाह डूंगरसिंह
25	प्रदर्श पी. 25	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हीरासिंह
26	प्रदर्श पी. 26	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त प्रेमसिंह
27	प्रदर्श पी. 27	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त किशन
28	प्रदर्श पी. 28	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त नारूराम
29	प्रदर्श पी. 29	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त भेरूलाल

30	प्रदर्श पी. 30	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता नाथीबाई
31	प्रदर्श पी. 31ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
32	प्रदर्श पी. 32	पुलिस थाना, केलवाड़ा का एफ.एस.एल. पत्र
33	प्रदर्श पी. 33	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द का एफ. एस.एल. अग्रेषण पत्र
34	प्रदर्श पी. 34	एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांकित 11.05.2021
35	प्रदर्श पी. 35	परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट (यह रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 के रूप में भी प्रदर्शित है)
36	प्रदर्श पी 36	चाक एफ.आई.आर.
37	प्रदर्श पी 37	अभियुक्त प्रेमसिंह की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
38	प्रदर्श पी 38	अभियुक्त किशन की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
39	प्रदर्श पी 39	अभियुक्त नारूराम की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
40	प्रदर्श पी 40	अभियुक्त प्रेमसिंह की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
41	प्रदर्श पी 41	अभियुक्त हीरासिंह की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
42	प्रदर्श पी 42	अभियुक्ता नाथीबाई की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
43	प्रदर्श पी 43	अभियुक्त भैरू की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
44	प्रदर्श पी 43	रोजनामचा विवरण
45	प्रदर्श पी 44	रोजनामचा विवरण
46	प्रदर्श पी 45	अभियुक्तगण का सजायाबी रिकॉर्ड

न्यायालय द्वारा एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांकित 27.12.2021 को प्रदर्श सी–1 के रूप में प्रदर्शित किया गया।

7. अभियोजन साक्ष्य से प्रकट आपराधिक दायित्व के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्तगण का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण किया

गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए यह भी कथन किया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहने से साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षीगण से जिरह के दौरान प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डी 01 पुलिस बयान पन्नासिंह को प्रदर्शित करवाया गया ।

8. इस प्रकरण के निर्णय हेतु हमारे समक्ष मुख्य रूप से अवधार्य प्रश्न यह है कि :—

{1} क्या अभियुक्तगण हीरासिंह, प्रेमसिंह, भेरू, किशन व नाथीबाई ने दिनांक 01.04.2021 को रात्रि में किसी समय जिला राजसमन्द के आरक्षी केन्द्र केलवाड़ा के क्षेत्र बड़गांव परमारों की भागल में एक राय होकर परिवादिया के पति उदयसिंह की हत्या करने के सामान्य उद्धेश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बलवा कारित किया ?

{2} क्या अभियुक्तगण हीरासिंह, प्रेमसिंह, भेरू, किशन व नाथीबाई ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य उद्धेश्य के अग्रसरण में उदयसिंह पर जानलेवा हमला करते हुए उसके साथ कुल्हाड़ी, बैंसा आदि से मारपीट कर उसकी हत्या कारित की?

{3} क्या अभियुक्तगण हीरासिंह, प्रेमसिंह, भेरू, किशन व नाथीबाई ने उदयसिंह की हत्या कारित करने के बाद अपराध की साक्ष्य विलोपित करने के आशय से उसकी लाश को कुंए में डाल कर साक्ष्य का विलोपन किया ?

{4} क्या अभियुक्तगण हीरासिंह व नाथीबाई ने सहअभियुक्तगण को उदयसिंह की हत्या (जो कि आजीवन कारावास व मृत्युदण्ड से दण्डनीय है) कारित किये जाने हेतु दुष्प्रेरित किया एवं उक्त अपराध करते समय उक्त अभियुक्तगण घटनास्थल पर उपस्थित थे ?

{5} क्या अभियुक्त नारू ने दिनांक 01.04.2021 को रात्रि में किसी समय जिला राजसमन्द के आरक्षी केन्द्र केलवाड़ा के क्षेत्र बड़गांव परमारों की भागल में सहअभियुक्तगण हीरासिंह, प्रेमसिंह, भेरू, किशन व नाथीबाई को परिवादिया

मंजुदेवी के पति उदयसिंह की हत्या कारित करने हेतु दुष्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप सहअभियुक्तगण ने उसकी हत्या कारित की ?

{6} यदि, हॉ तो अभियुक्तगण के लिए उपयुक्त दंड क्या हो ?

9. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसमें गवाह पी.डब्ल्यू. 01 पन्नासिंह ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 31.03.2021 को शाम को 8:00 बजे किशनलाल ने उसकी दुकान पर आकर बोला कि नारूराम, हीरासिंह और भैरूराम मेहमान आये हैं। फिर वह शराब लेकर चला गया। वह वापस 8:00 बजे अपने घर पर चला गया था। दूसरे दिन सुबह उदयसिंह की पत्नि आई थी जो चाय लेकर कुंए पर गई तो पलंग टूटा हुआ था और पास में खून पड़ा हुआ था और गांव में आकर बोली की उसका पति नहीं मिल रहा था। इस पर आठ–दस जने कुंए पर गये तो कुंए के अंदर सफेद धोती दिखाई दी। कुंए से उदयसिंह को बाहर निकाला। उदयसिंह मरा हुआ था और उसके सिर पर घाव लगा हुआ था। फिर पुलिस वाले लाश को लेकर चले गये। गवाह का यह भी कथन रहा है कि हीरासिंह और उदयसिंह के मध्य जमीन का विवाद चल रहा था। हीरासिंह की पत्नि नाथीबाई और नारूराम का अवैध संबंध था जिसके लिए उदयसिंह हीरासिंह को जमीन नहीं बेचने देता था। किशन, भैरू, हीरासिंह, नाथीबाई, नारू को वह जानता है। ये सभी उसके गांव के ही हैं। वह प्रेमसिंह को नहीं जानता है।

10. पी.डब्ल्यु. 2 मंजू बाई ने सशपथ कथन किया है उसका पति उदयसिंह खेती बाड़ी का काम करता था। उसके कोई औलाद नहीं है। लगभग साल भर पहले उसके पति कुएं पर सो रहे थे और वह शाम को रोटी लेकर गई उनको खाना खिलाकर वापस रात को 9:00 बजे घर आ गई थी। उसके पति कुएं पर सो कर कुएं की रखवाली कर रहे थे। वह अगले दिन सुबह दिन उगने पर कुएं पर वापस गई तो उसने देखा कि कुएं पर खून पड़ा है। उसका पति पलंग पर सो रहा था उसे मार दिया था। उसके पति की लाश कुएं के अंदर मिली थी। फिर उसके परिवार वाले, गॉव वाले व पुलिस मौके

पर आ गई। उसके देवर हीरासिंह व उसकी पत्नी नाथी ने जगह हड़पने के लिए उसके पति को मार दिया और हीरासिंह व नाथी के साथ नारू भील, किशन भील भी थे। गवाह के कथनानुसार भैरू व पेमा भी साथ था, कुल 6 लोगों ने मिलकर दारू पीकर उसके पति को मार दिया। उसके पति के सिर पर 3–4 जगह चोटें लगी थी। जैसे बकरे को काटते हैं वैसे मार दिया। उसने पुलिस थाना, केलवाड़ा में रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पेश की। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02, फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी प्रदर्श पी 03 है। पुलिस ने घटनास्थल से खून आलूदा कपड़े चद्दर व गुदड़ी आदि लिए थे, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 04 है। लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 05 है। लाश फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 06 है। इन सभी फर्दात पर एक्स स्थान पर उसकी अगूंठा निशानी है।

11. पी.डब्ल्यु. 3 अमरसिंह ने सशपथ कथन किया है उसके सामने पुलिस वालों ने उदयसिंह की लाश का पंचनामा तैयार किया था। उदयसिंह की मृत्यु उसकी हत्या कर देने के कारण हुई थी क्योंकि उसके सिर पर कुल्हाड़ी के वार के निशान थे फिर उसकी लाश को कुएं में डाल दिया था। उदयसिंह की लाश को पुलिस वालों ने निकाला था। पंचनामा लाश प्रदर्श पी 05 है, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 06 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

12. पी.डब्ल्यु. 4 डॉ. सुधीर शर्मा ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 01.04.2021 को सी.एच.सी. केलवाड़ा में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए उदयसिंह पिता लालसिंह परमार के शव का पोस्टमार्टम किया। मृतक के शरीर पर चोट संख्या 01– इनसाइज्ड वुण्ड, 7 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. स्कैल्प डीप, बांये पेराइटो टेम्पोरल रीजन पर थी, जिस पर खून जमा हुआ था, जो धारदार हथियार से कारित थी। चोट संख्या 02– इनसाइज्ड वुण्ड, 4 गुणा 0.5 सेमी गुणा स्कैल्प डीप, दायें पेराइटो ऑक्सी रीजन, जिस पर खून जमा हुआ था, जो धारदार हथियार से कारित थी। चोट संख्या 03–दो कुचले हुए घाव, जिनमें से एक 1 गुणा 0.5 सेमी और दूसरा 0.5 गुणा 0.5 सेमी थे, जो ललाट के दांयी तरफ थे। इन में भी खून जमा हुआ था, जो चोट कुंद हथियार से कारित थी। चोट संख्या 04–ब्रुज 6 गुणा 1 सेमी, गर्दन के दाईं

तरफ थी। इसके अलावा गर्दन के बांयी तरफ 1 गुणा 1 सेमी व 0.5 गुणा 0.5 सेमी दो ब्रुज थे। यह चोटें मृत्यु से दो से चार घण्टे पूर्व की थी। चोट संख्या 01 व 02 गम्भीर प्रकृति की होकर मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी। सिर के अंदर दोनों तरफ की पेराइटो ऑक्सीपिटल अस्थिभंग पाया गया। साथ ही दिमाग में सूजन व खून जमा हुआ था। छाती के बांयी तरफ खून जमा हुआ था, साथ में दूसरे से चौथी पसली का अस्थिभंग पाया गया। मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार मृत्यु का कारण कोमा व शॉक था, जो मृत्यु से पूर्व आई सिर की चोटों के कारण था, जो कि सामान्य स्थिति में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त प्रकृति की चोटें थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी स्थान पर मेडिकल बोर्ड की राय, सी से डी स्वयं के व ई से एफ डॉ0 नगेन्द्रपालसिंह के हस्ताक्षर है।

13. पी.डब्ल्यु. 5 विरमसिंह ने सशपथ कथन किया है कि करीब साल डेढ़ साल पहले उदयसिंह की लाश बड़गॉव में स्थित कुएं में मिली थी। पुलिस वाले मौके पर आए थे और उदयसिंह की लाश को कुएं से निकालकर केलवाड़ा अस्पताल ले गए। लाश का पंचायतनामा फर्द प्रदर्श पी 05 है। उसने उदयसिंह की लाश को देखा था, उसके सिर से खून निकला हुआ था।

14. पी.डब्ल्यु. 6 नानूसिंह ने सशपथ बयानों में कथन किया कि बयान से करीब डेढ़ साल पहले सुबह 7—8 बजे उदयसिंह की पत्नी मंजू उसके घर आई और उसने बताया कि उसके पति खेत पर स्थित कुंए के पास सो रहे थे, सुबह वह चाय लेकर गई तो उसके पति उदयसिंह वहां पर नहीं मिले। फिर वे गॉव से 7—8 आदमी कुएं पर गए थे। कुएं में देखा तो उन्हें धोती जैसा कपड़ा दिखाई दिया। थाने से पुलिस वाले आए और उन्होंने उदयसिंह की लाश को कुंए से बाहर निकाला और केलवाड़ा अस्पताल में लेकर गए। उसने उदयसिंह की लाश को देखा था। उदयसिंह मर चुका था और उसके माथे के एक साइड में लगी हुई थी। लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 05 है। गवाह का आगे कथन रहा है कि उदयसिंह का किसी से कोई विवाद हो तो उसने नहीं सुना। उदयसिंह को किसने मारा, यह भी उसने नहीं सुना। इस प्रक्रम पर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया

गया। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 09 के ए से बी व सी से डी भाग में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया।

15. पी.डब्ल्यु. 7 प्रकाश सिंह ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह उदयसिंह की पत्नी मंजूदेवी को पहचानता है। बयान से करीब एक साल पहले मंजुदेवी उसके यहां नहीं आई, ना ही उसने अपने पति के बारे में कुछ बताया। इस प्रक्रम पर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने इस सुझाव को गलत होना जाहिर किया कि मंजुदेवी ने उसे यह बताया हो कि उसके पति के खाट के पास खून पड़े हुए हैं। जब वह वहां गया तब उदयसिंह की लाश कुंए में पड़ी हुई थी। पुलिस वालों द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया गया। पुलिस ने मौके से खून से सनी हुई मिट्टी व सादा मिट्टी लेकर फर्द बनाई थी जो प्रदर्श पी 03 है। फर्द जब्ती खून आलूदा कपड़े, टाट की बोरी, लाल रंग का चादर, हरे रंग का चादर प्रदर्श पी 04 है। गवाह ने फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी 10 व प्रदर्श पी 11, प्रदर्श पी 12, फर्द बरामदगी स्थल कुल्हाड़ी प्रदर्श पी 13, फर्द बरामदगी स्थल गेंती का बैंसा प्रदर्श पी 14, फर्द बरामदगी स्थल टीशर्ट प्रेमसिंह प्रदर्श पी 15, फर्द जब्ती शराब के पव्वे प्रदर्श पी 16, फर्द बरामदगी कुल्हाड़ी व टीशर्ट प्रदर्श पी 17, फर्द बरामदगी गेंती का बैंसा व शर्ट प्रदर्श पी 18 व फर्द बरामदगी टीशर्ट प्रदर्श पी 19 पर क्रमशः ए से बी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया, लेकिन गवाह के कथनानुसार मुलजिमान ने उसके समक्ष किसी घटनास्थल की तस्दीक नहीं कराई, न ही मुलजिमान ने बरामदगी करवाई। गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 20 के ए से बी व सी से डी भाग में वर्णित तथ्यों से भी इन्कार किया।

16. गवाह पी.डब्ल्यू. 08 मोतीसिंह ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह मृतक उदयसिंह को जानता है। गवाह ने यह भी कथन किया कि वह मुलजिम प्रेमसिंह, किशन व भेरू वगैरह को नहीं जानता है। वह इस मामले के संबंध में कुछ भी नहीं जानता है। इस प्रक्रम पर लोक अभियोजक के

निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने इस सुझाव को गलत होना जाहिर किया कि मंजुदेवी ने उसे यह बताया हो कि उसके पति के खाट के पास खून पड़े हुए हैं। जब वह वहां गया तब उदयसिंह की लाश कुंए में पड़ी हुई थी। पुलिस वालों द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया गया। पुलिस ने मौके से खून से सनी हुई मिट्‌टी व सादा मिट्‌टी लेकर फर्द बनाई थी जो प्रदर्श पी 03 है। फर्द जब्ती खून आलूदा कपड़े, टाट की बोरी, लाल रंग का चादर, हरे रंग का चादर प्रदर्श पी 04 है। गवाह ने उक्त फर्दात के साथ ही फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी 10 व प्रदर्श पी 11, प्रदर्श पी 12, फर्द बरामदगी स्थल कुल्हाड़ी प्रदर्श पी 13, फर्द बरामदगी स्थल गेंती का बैंसा प्रदर्श पी 14, फर्द बरामदगी स्थल टीशर्ट प्रेमसिंह प्रदर्श पी 15, फर्द जब्ती शराब के पव्वे प्रदर्श पी 16, फर्द बरामदगी कुल्हाड़ी व टीशर्ट प्रदर्श पी 17, फर्द बरामदगी गेंती का बैंसा व शर्ट प्रदर्श पी 18 व फर्द बरामदगी टीशर्ट प्रदर्श पी 19 पर क्रमशः सी से डी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया, लेकिन गवाह के कथनानुसार मुलजिमान ने उसके समक्ष किसी घटनास्थल की तस्दीक नहीं कराई, न ही मुलजिमान ने बरामदगी करवाई। गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 21 के ए से बी व सी से डी भाग में वर्णित तथ्यों से भी इन्कार किया।

17. पी.डब्ल्यु. 09 शंकर सिंह ने सशपथ कथन किया है कि वह मृतक उदयसिंह को जानता है। उदयसिंह की मृत्यु हो चुकी है। फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 05 है जिस पर जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

18. पी.डब्ल्यू. 10 भीम सिंह ने सशपथ कथन किया कि आज से करीब साल भर पहले की बात है। उदयसिंह की पत्नी मंजूबाई हीरासिंह के घर पर आई थी, फिर वे सब उसके घर के पास में स्थित कुएं पर गये थे। उन्होंने कुएं में देखा तो उदयसिंह का कपड़ा कुंए में तैर रहा था। फिर पुलिस वाले आए और उदयसिंह की लाश को बाहर निकाला। उसने उदयसिंह की लाश देखी थी। उदयसिंह की मृत्यु कैसे हुई, वह नहीं जानता है। इस प्रक्रम पर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। लोक

अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 22 के ए से बी व सी से डी भाग में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया।

19. पी.डब्ल्यू. 11 स्वरूप सिंह ने सशपथ कथन किया कि करीब साल भर पहले परमारों की भागल में घरों के पीछे एक बावड़ी में उदयसिंह की लाश पुलिस वालों ने निकाली थी। उसने भी उदयसिंह की लाश देखी थी। पुलिस वाले उदयसिंह की लाश को केलवाड़ा अस्पताल ले गए थे, वह भी केलवाड़ा अस्पताल गया था। पुलिस वालों ने उदयसिंह की लाश का पोस्टमार्टम करवाया था और कार्यवाही की थी। गवाह ने यह भी कथन किया कि वह इस प्रकरण में इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। इस प्रक्रम पर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 23 के ए से बी, सी से डी व ई से एफ भाग में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया।

20. पी.डब्ल्यू. 12 डुंगर सिंह ने सशपथ कथन किया कि करीब साल भर पहले उदयसिंह की पत्नी मंजू सुबह करीब 10 बजे गॉव में बुलाने के लिए आई थी और कहा कि उसके पति का कहीं पता नहीं चल रहा है, सब बावड़ी पर आओ, उस वक्त वह खेत पर गेहूं की फसल काट रहा था, जिस पर वे सभी बावड़ी पर गए तो देखा तो बावड़ी में एक कपड़ा तैर रहा था। फिर पुलिस आई और उदयसिंह की लाश को बावड़ी से बाहर निकाला। गवाह का आगे यह भी कथन रहा है कि उदयसिंह की मृत्यु कैसे हुई, यह वह नहीं जानता है। इस प्रक्रम पर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 24 के ए से बी व सी से डी भाग में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया।

21. पी.डब्ल्यू. 13 राकेश कुमार ने सशपथ कथन किया कि उसके दिनांक 05.04.2021 को पुलिस थाना केलवाड़ा में कानिस्टेबल के पद पर तैनात रहते हुए उसके समक्ष प्रकरण संख्या 82/2021 में अनुसंधान अधिकारी शैतान सिंह ने अभियुक्तगण हीरासिंह, प्रेमसिंह, किशनसिंह, नारूराम, व भैरूलाल को

गिरफ्तार किया था जिनकी फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी 25 से लगायत 29 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

22. पी.डब्ल्यू. 14 मुकेश कुमार ने सशपथ कथन किया कि उसके दिनांक 05.04.2021 को पुलिस थाना केलवाड़ा में कानिस्टेबल के पद पर तैनात होते हुए उसके समक्ष प्रकरण संख्या 82/2021 में अनुसंधान अधिकारी शैतान सिंह ने अभियुक्तगण हीरासिंह, प्रेमसिंह, किशनसिंह, नारूराम, व भैरूलाल को गिरफ्तार किया था जिनकी फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी 25 से लगायत 29 है व नाथीबाई की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 30 है, जिन पर उनके हस्ताक्षर है।

23. पी.डब्ल्यू. 15 श्रीमती सुमित्रा ने सशपथ कथन किया कि उसके दिनांक 06.04.2021 को पुलिस थाना केलवाड़ा पर कानिस्टेबल के पद पर तैनात रहते हुए अनुसंधान अधिकारी शैतान सिंह के द्वारा नाथी बाई पत्नी हीरा सिंह को पुलिस थाना केलवाड़ा पर जरिये फर्द प्रदर्श पी 30 गिरफ्तार किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

24. पी.डब्ल्यू. 16 प्रदीप सिंह ने सशपथ कथन किया कि उसके दिनांक 01.04.2021 को पुलिस थाना केलवाड़ा में मालखाना इंचार्ज के रूप में तैनात होते हुए आई.ओ. शैतानसिंह द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा आर्टीकल सीलचिटशुदा मार्क ए, मार्क बी, व मार्क सी उसे सुपुर्द किया। इसी प्रकरण में दिनांक 07. 04.2021 को आई.ओ. द्वारा जब्तशुदा आर्टिकल सीलचिटशुदा मार्क डी, ई, एफ, जी, एच व आई उसको सुपुर्द किया जो मालखाना रजिस्टर की क्रम संख्या 151 पर दर्ज कर मालखाना में सुरक्षित रखा गया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 31 है।

25. पी.डब्ल्यू. 17 डॉ. नगेन्द्रपाल सिंह ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 01.04.2021 को सी.एच.सी. केलवाड़ा में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने उदयसिंह पिता लालसिंह परमार के शव का पोस्टमार्टम किया। मृतक के शरीर पर चोट संख्या 01– इनसाइज्ड वुण्ड, 7 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. स्कैल्प डीप, बांये पेराइटो टेम्पोरल रीजन पर थी, जिस

पर खून जमा हुआ था, जो धारदार हथियार से कारित थी। चोट संख्या 02–इनसाइज्ड वुण्ड, 4 गुणा 0.5 सेमी गुणा स्कैल्प डीप, दांये पेराइटो ऑक्सीरीजन, जिस पर खून जमा हुआ था, जो धारदार हथियार से कारित थी। चोट संख्या 03–दो कुचले हुए घाव, जिनमें से एक 1 गुणा 0.5 सेमी और दूसरा 0.5 गुणा 0.5 सेमी थे, जो ललाट के दांयी तरफ थे। इन में भी खून जमा हुआ था, जो चोट कुंद हथियार से कारित थी। चोट संख्या 04–ब्रुज 6 गुणा 1 सेमी, गर्दन के दांयी तरफ थी। इसके अलावा गर्दन के बांयी तरफ 1 गुणा 1 सेमी व 0.5 गुणा 0.5 सेमी दो ब्रुज थे। यह चोटें मृत्यु से दो से चार घण्टे पूर्व की थी। चोट संख्या 01 व 02 गम्भीर प्रकृति की होकर मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी। सिर के अंदर दोनों तरफ की पेराइटो ऑक्सीपिटल अस्थिभंग पाया गया। साथ ही दिमाग में सूजन व खून जमा हुआ था। छाती के बांयी तरफ खून जमा हुआ था, साथ में दूसरे से चौथी पसली का अस्थिभंग पाया गया। मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार मृत्यु का कारण कोमा व शॉक था, जो मृत्यु से पूर्व आई सिर की चोटों के कारण था, जो कि सामान्य स्थिति में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त प्रकृति की चोटें थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी स्थान पर मेडिकल बोर्ड की राय, सी से डी स्थान पर डॉ0 सुधीर के एवं ई से एफ स्वयं के हस्ताक्षर होना भी कथन किया।

26. पी.डब्ल्यू. 18 राकेश सिंह ने सशपथ कथन किया कि दिनांक 10.05.2021 को पुलिस थाना केलवाड़ा में कार्यवाहक मालखाना इंचार्ज रहते हुए मालखाना में जमा कुल 08 आर्टिकल सीलचिटशुदा जिन पर मार्क ए, बी, सी, ई, एफ, जी, एच, आई मार्क अंकित था, को एफएसएल जांच हेतु कानिस्टेबल अशोक कुमार को मय अग्रेषण पत्र के विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जमा कराने हेतु संभलाये थे जिनको अशोक कुमार एफएसएल में जमा करवा कर रसीद लाया जो रसीद लाकर उसे सुपुर्द किया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 31 है, जिस पर सी से डी आर्टिकल भेजने का, ई से एफ रसीद प्राप्त करने का इन्द्राज होकर आई से जे उसके हस्ताक्षर है।

27. पी.डब्ल्यू. 19 अशोक कुमार ने सशपथ कथन किया कि उसके दिनांक 10.05.2021 को पुलिस थाना केलवाड़ा में कानिस्टेबल के पद पर तैनात रहते हुए प्रकरण संख्या 82/21 में आर्टिकल मय अग्रेषण पत्र प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजसमंद आकर अग्रेषण पत्र तैयार कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए रवाना हुआ। पुलिस थाना केलवाड़ा का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 32 व एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 33 है। आर्टिकल सीलचिटशुदा एफएसएल में जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो प्रदर्श पी 34 है।

28. पी.ड. 20 शैतानसिंह ने सशपथ बयान किया कि वह दिनांक 01.04.2021 को पुलिस थाना केलवाड़ा में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रार्थीया श्रीमती मंजू बाई द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 के आधार पर प्रकरण संख्या 82/21 अपराध अन्तर्गत धारा 302/201 भा0दं0स0 में दर्ज किया। पुलिस थाना, केलवाड़ा का पृष्ठांकन प्रदर्श पी 35 एवं चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 36 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान उसने उदयसिंह की लाश का पोस्टमॉर्टम कराने हेतु एम.ओ. सीएचसी केलवाड़ा को तहरीर प्रदर्श पी 07 दी। मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया था जिसकी पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 है। उसने प्रार्थीया व मोतबिरान की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–मौका प्रदर्श पी 02 मुर्तिब किया एवं घटनास्थल से खूनआलुदा मिट्‌टी लेकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट कर मार्क ''ए'' अंकित किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 03 है । मृतक के पहने हुए कपड़े जरिये फर्द प्रदर्श पी 04 जब्त किये थे । मृतक का पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 05 मुर्तिब कर लाश जरिये फर्द प्रदर्श पी 06 उसके परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द की थी। गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे।

29. गवाह का आगे यह भी कथन रहा है कि उसने अभियुक्तगण हीरासिंह, प्रेमसिंह, किशन, नारूराम, भैरूलाल,नाथीबाई को जरिये फर्द क्रमशः प्रदर्श पी 25 लगायत प्रदर्श पी 30 गिरफ्तार किया था। अभियुक्त प्रेमसिंह व किशन ने

स्वेच्छया धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 37 व 38 दी थी कि घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जहां रखी थी एवं जहां शराब पार्टी की थी तथा जिस जगह उदयसिंह को मारा था वो स्थान साथ चलकर बता सकते हैं। अभियुक्त नारू ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 39 दी थी कि उदयसिंह को मारने के लिए जिस स्थान पर बैठकर चर्चा की थी, उस स्थान को साथ चलकर बता सकता है। इसी प्रकार अभियुक्त हीरासिंह ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 40 दी थी कि जिस स्थान पर बैठकर मृतक को मारने की राय की एवं जहां पर वो खड़े रहे थे, उस स्थान को साथ चलकर बता सकता है। इसी पकार अभियुक्ता नाथीबाई ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 41 दी थी कि उदयसिंह को मारने के लिए जिस स्थान पर बैठकर चर्चा की थी, उस स्थान को साथ चलकर बता सकती है। इसी प्रकार अभियुक्त भैरू ने अपनी स्वेच्छा से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 42 दी थी कि उदयसिंह को मारने के लिए जिस स्थान पर बैठकर चर्चा की थी, उस स्थान को साथ चलकर बता सकता है। गवाह का यह भी कथन रहा है कि अभियुक्त किशन, भैरू व प्रेमसिंह की निशादेही से शराब के पव्वे जरिये फर्द प्रदर्श पी 16 जब्त किये थे। अभियुक्त किशन व प्रेमसिंह की सूचना अनुसार एक कुल्हाड़ी व एक पुराना टीशर्ट जरिये फर्द प्रदर्श पी 17 जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सीलचिट किये थे। इसी प्रकार अभियुक्त भैरू से एक गेंती का बैंसा, जिस पर खून लगा हुआ था एवं एक पुराना इस्तेमाली शर्ट जिस पर खून लगे हुए थे, को जरिये फर्द प्रदर्श पी 18 जब्त कर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क ''जी'' व ''एच'' अंकित किया था। अभियुक्त प्रेमसिंह से एक पुराना इस्तेमाली टीशर्ट जरिये फर्द प्रदर्श पी 19 जब्त कर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क ''आई'' अंकित किया था। गवाह के कथनानुसार दौराने अनुसंधान मुल्जिमान हीरासिंह, नाथीबाई, किशन एवं नारू ने जिस स्थान पर मृतक उदयसिंह की हत्या की साजिश रची थी, उस स्थान का अभियुक्तगण की निशादेही से मोतबिरान प्रकाश सिंह व मोतीसिंह के समक्ष मौका तस्दीक किया था जिसकी फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 10

है। तत्पश्चात मुल्जिमान किशन, भैरू व प्रेमसिंह की निशादेही से जहां पर उन्होंने शराब पार्टी उदयसिंह की हत्या करने के लिए की गई थी उस स्थान का मौका तस्दीक कर फर्द मुर्तिब की गई थी जो प्रदर्श पी 11 है। अभियुक्तगण द्वारा उदयसिंह की हत्या कर मृतक को कुंए में फेंका था, उस स्थान की फर्द मौका तस्दीक अभियुक्त हीरासिंह, प्रेमसिंह, भैरू, नाथीबाई व किशन की निशादेही से मोतबिरान की उपस्थिति में मुर्तिब की गई थी।

30. उक्त गवाह का आगे यह भी कथन रहा है कि अभियुक्त किशन व प्रेमसिंह की उपस्थिति में उनकी सूचना अुनसार मुल्जिम किशन के रिहायशी मकान से टेबल के नीचे रखी कुल्हाड़ी मय लकड़ी का बैंसा, जिस पर खून लगा हुआ था एवं वक्त घटना किशन द्वारा पहना हुआ टीशर्ट टेबल पर गूदड़े के नीचे रखा हुआ था, उस स्थान का फर्द बरामदगी स्थल मुर्तिब किया था जो प्रदर्श पी 13 है। इसी प्रकार अभियुक्त भैरू की सूचना अनुसार उसकी निशादेही से उसके रिहायशी मकान में केलू के नीचे लगे बांस के बीच में छुपा हुआ गेंती का बैंसा लकड़ी का खून लगा हुआ बरामद कराया एवं वक्त घटना अभियुक्त द्वारा पहना हुआ टीशर्ट उसके कमरे में टांड के उपर पुराने कपड़ो के नीचे छुपा रखा था, को बरामद कराया था। उस स्थान की फर्द बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 14 है। अभियुक्त प्रेमसिंह की सूचना के अनुसार उसकी निशादेही से उसके रिहायशी डबल मंजिला मकान जिस मकान का नाम प्रेम निवास था उस मकान के कमरे में अलमारी में रखे कपड़ों के नीचे रखे टीशर्ट जिस पर खून लगा हुआ था, उसको बरामद कराया था। उस स्थान का फर्द बरामदगी स्थल मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी 15 है । उक्त सभी फर्दात पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना कथन किया है। गवाह के कथनानुसार उसको दिनांक 01.04.2021 को सूचना मिलने पर थाने से रवानगी की रपट दर्ज की थी जिसकी रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 43 व थाने पर आमद की रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 44 है तथा अभियुक्तगण का सजायाबी रिकार्ड प्रदर्श पी 45 है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 31ए है । विशेष वाहक अशोक कुमार के साथ जब्तशुदा आर्टीकल्स को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भिजवाने हेतु पुलिस थाना केलवाड़ा का पत्र प्रदर्श

पी 32 व जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 33 एवं आर्टिकल्स विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी 34 है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत हुई जो प्रदर्श सी–1 है। इस प्रकरण में घटना स्थल से जब्त की गई खून आलुदा मिटटी का पैकेट आर्टिकल 1, कन्ट्रोल मिट्टी आर्टिकल 2, खून आलुदा लुंगी व 2 टाट की बोरिया, लाल कलर का चद्दर खून आलुदा व कटशुदा, हरे कलर का खून आलुदा चद्दर आर्टिकल 3, लुंगी आर्टिकल 4, दो टाट की बोरियां आर्टिकल 5 व आर्टिकल 6 है। लाल कलर का चद्दर आर्टिकल 7, हरे कलर का चद्दर आर्टिकल 8, अभियुक्त द्वारा वक्त घटना पहना हुआ शर्ट आर्टिकल 9, अभियुक्त भैरूलाल का शर्ट आर्टिकल 10, अभियुक्त किशन का खुन आलुदा टी–शर्ट आर्टिकल 11, अभियुक्त किशन का टी–शर्ट आर्टिकल 12 है। अभियुक्त प्रेमसिंह का खुन आलुदा टी–शर्ट आर्टिकल 13, अभियुक्त प्रेमसिंह का टी–शर्ट आर्टिकल 14 है। अभियुक्त भैरू से बरामदशुदा गैंती का बैंसा आर्टिकल 15 व लाठी आर्टिकल 16 है। अभियुक्त किशन व प्रेमसिंह से घटना के समय उपयोग में ली गई कुल्हाड़ी जब्त की गई थी, जो आर्टिकल 17 व कुल्हाडी मय बैंसा आर्टिकल 18 है।

31. **विद्वान लोक अभियोजक की ओर से बहस** के दौरान तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण हीरासिंह, प्रेमसिंह, भेरू, किशन व नाथीबाई के द्वारा घटना की दिनांक को सुसंगत समय पर बड़गांव परमारों की भागल में परिवादिया के पति उदयसिंह की हत्या करने के सामान्य उद्धेश्य से घातक आयुधों से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बलवा कारित करने एवं उदयसिंह के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित करने के बाद उसकी लाश को कुंए में डाल कर साक्ष्य का विलोपन करने तथा अभियुक्त नारू के द्वारा उक्त अभियुक्तगण को उदयसिंह की हत्या कारित करने हेतु दुष्प्रेरित किये जाने के परिणामस्वरूप सहअभियुक्तगण द्वारा उदयसिंह की हत्या कारित किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अभियुक्तगण के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार कुल्हाड़ी व गैंती का बैसा भी बरामद हुआ है, जिसे

गवाह प्रकाशसिंह व मोतीसिंह ने साबित किया है। गवाह पन्नासिंह ने अभियुक्तगण द्वारा घटना की रात्रि को उसकी दुकान से शराब के पव्वे खरीदने का तथ्य साबित किया है। चिकित्सकीय साक्षियों की साक्ष्य से एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृतक की हत्या होने का तथ्य प्रमाणित है। गवाहान के बयानों से अभियुक्तगण व मृतक उदयसिंह के मध्य जमीनी विवाद होने का तथ्य भी प्रकट हुआ है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी शैतानसिंह ने अभियुक्तगण की स्वैच्छिक इत्तिलाओं के आधार पर घटनास्थल की तस्छीक करवाये जाने एवं अभियुक्तगण के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी को साबित करते हुए चार्जशीट पेश की गई है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित करने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

32. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान् अधिवक्तागण का बहस के दौरान तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण के अभियुक्तगण द्वारा ही परिवादिया के पति उदयसिंह की हत्या करने के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है। अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य संकलित नहीं की गई। परिवादिया द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में भी ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया कि उसे मुलजिमान पर अपने पति की हत्या का किसी प्रकार का कोई शक हो। प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहान पी.डब्ल्यू. 6 नानुसिंह, पी.डब्ल्यू. 7 प्रकाशसिंह, पी.डब्ल्यू. 8 मोतीसिंह, पी. डब्ल्यू. 10 भीमसिंह, पी.डब्ल्यू. 11 स्वरूपसिंह, पी.डब्ल्यू. 12 डूंगरसिंह ने अभियोजन कहानी का किंचितमात्र भी समर्थन नहीं किया है और पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहे हैं। इन गवाहान के कथनानुसार उनकी मौजूदगी में पुलिस द्वारा हस्तगत प्रकरण के मुलजिमान द्वारा न तो घटनास्थल की तस्दीक करवायी गई, ना ही उनकी सूचना के मुताबिक किसी प्रकार की कोई बरामदगी ही की गई। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण से हथियारों की बरामदगी का तथ्य भी साबित नहीं है। केवलमात्र कथित जमीनी विवाद व शराब खरीदने से ही अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या किये जाने का तथ्य साबित नहीं माना जा

सकता है, जबकि प्रकरण में कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी मौजूद नहीं है, न ही अभियुक्तगण को अंतिम बार मृतक के खेत की ओर जाते हुए देखने बाबत् भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। उक्त तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :–

(1) 2000 Cr.L.R.(SC) 81 Mujeeb & Anr. vs State of Kerala
(2) RLW 1957 Mohan vs State of Rajasthan
(3) 2021(4) Cr.L.R.(Raj.) 1113 Ashok & Anr. vs State of Rajasthan
(4) 2019(1) Cr.L.R.(Raj.) 534, Sharvan Ram vs State of Rajasthan
(5) 1994 Cr.L.R.(SC) 438, Sukhvinder Singh vs State of Punjab
(6) (2024)2 SCC(Cri.) 149, Pardeep Kumar vs State of Haryana
(7) (2024)3 SCC(Cri.) 535, Babu Sahebagouda vs State of Karnataka
(8) (2025) 1 SCC(Cri.) 344, Karakkattu Muhammed Basheer vs State of Kerala
(9) (2025)2 SCC(Cri.) 82 Rajakhan vs State of Chhattisgarh
(10) (2025)2 SCC(Cri.) 93, Ayyub and Anr.vs State of Uttar Pradesh an
(11) (2025)1 SCC(Cri.) 147, Alla rakha Habib Memon vs State of Gujarat

33. हमने उक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत प्रकरण का प्रारम्भ परिवादिया मंजूबाई की ओर से दिनांक 01.04.2021 को पेश की गयी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 से हुआ। इस रिपोर्ट में परिवादिया ने कहा है कि उसका पति उदयसिंह खेती बाड़ी व बकरी रखने का काम करता था। उसके कोई औलाद नहीं है। उसका पति खेत नामी बोलिया वाला कालोरा पर स्थित कुंए पर रखवाली हेतु खाट लगाकर वहीं सोता था। वह रात्रि 9:00 बजे खाना लेकर गई और खाना खिलाकर वापस आ गई। आज सुबह करीब 7:00 बजे चाय लेकर गई तो उसका पति खाट पर नहीं था व खाट से कुछ दूर खून पड़े थे। फिर गांव वालों ने उसके पति की तलाश की तो उसके पति की लाश कुंए में पड़ी हुई थी, जिसे गांव वालों ने बाहर निकाला तो उसके पति के सिर में दो जगह गहरे घाव हो खून आ रहे थे व ललाट में दाहिनी तरफ चोट लगी थी व बांये कान से खून आ रहे

थे। उसके पति को अज्ञात व्यक्ति ने मारपीट कर मार कर कुंए में डाल दिया है।

परिवादिया द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि परिवादिया की जानकारी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने उसके पति उदयसिंह की हत्या की हो। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से तथा अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर आरोपित अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध किया गया अथवा नहीं, इसके मुख्य आधार निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जिन पर न्यायिक दृष्टि से विचार किया जाकर न्यायालय को यह देखना है कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध साबित हुए हैं अथवा नहीं :–

(1) **परिस्थितिजन्य साक्ष्य,**

(2) **अभियुक्तगण की निशांदेही से घटनास्थल का साबित होना तथा अभियुक्तगण की निशांदेही से ही हत्या में प्रयुक्त हथियारों की जप्ती का साबित होना,**

(3) **अभियुक्तगण के पहने हुए कपड़े एवं हथियारों की बरामदगी के आधार पर एफ.एस.एल. रिपोर्ट का अभियुक्तगण द्वारा किये गये अपराध को साबित करना।**

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया गया हो, इस संबंध में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। मृतक उदयसिंह रात्रि में खेत में अकेला सोया था और रात्रि करीब 9:00 बजे परिवादिया, जो मृतक उदयसिंह की पत्नी है, मृतक को खाना खिलाकर अपने घर आ गयी और जब सुबह करीब 7:00 बजे वह वापस खेत पर गई तो चारपाई पर मृतक नहीं मिला। परिवादिया ने वापस अपने गांव में आकर इस बाबत् अपने पड़ोसियों को बताया तथा पुलिस को सूचना दी तथा तलाश करने पर मृतक कुंए में पड़ा हुआ मिला और उसे जब बाहर निकाला गया तो उसके शरीर पर गम्भीर चोटें देखी गयीं। इन सब साक्ष्यों के अवलोकन से ऐसा कोई भी गवाह नहीं है जिसने यह देखा हो कि अभियुक्तगण मृतक उदयसिंह के खेत की ओर गये हों। इस प्रकार इस प्रकरण में अंतिम बार देखे जाने (Last Seen Evidence) वाला तथ्य मौजूद नहीं है। अभियोजन पक्ष ने गवाह पी.डब्ल्यू. 1 पन्नासिंह के

उन कथनों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में माना है, जिसने यह कहा है कि दिनांक 31.03.2021 को शाम को 8:00 बजे किशनलाल ने उसकी दुकान पर आकर बोला कि नारूराम, हीरासिंह और भैरूराम मेहमान आये हैं। फिर वह शराब लेकर चला गया। वह वापस 8:00 बजे अपने घर पर चला गया था। दूसरे दिन सुबह उदयसिंह की पत्नि आई थी जो चाय लेकर कुंए पर गई तो पलंग टूटा हुआ था और पास में खून पड़ा हुआ था और गांव में आकर बोली की उसका पति नहीं मिल रहा था। इस पर आठ–दस जने कुंए पर गये तो कुंए के अंदर सफेद धोती दिखाई दी। कुंए से उदयसिंह को बाहर निकाला। उदयसिंह मरा हुआ था और उसके सिर पर घाव लगा हुआ था। फिर पुलिस वाले लाश को लेकर चले गये। गवाह का यह भी कथन रहा है कि हीरासिंह और उदयसिंह के मध्य जमीन का विवाद चल रहा था। हीरासिंह की पत्नि नाथीबाई और नारूराम का अवैध संबंध था जिसके लिए उदयसिंह हीरासिंह को जमीन नहीं बेचने देता था। किशन, भैरू, हीरासिंह, नाथीबाई, नारू को वह जानता है। ये सभी उसके गांव के ही हैं। वह प्रेमसिंह को नहीं जानता है। इस गवाह से जब जिरह की गई तो इस गवाह ने कहा है कि उसने दिनांक 01.04.2021 को पुलिस को बयान नहीं दिये। उससे पुलिस वालों ने उस दिन शराब ले जाने वाली बात नहीं पूछी, इसलिये उसने उस दिन नहीं बताई। फिर पुलिस वालों ने उसे थाने पर बुलाया। गवाह ने जिरह में स्वीकार किया कि उसने चलकर के पुलिस वालों को इस घटना के बारे में नहीं बताया था। उसको पुलिस ने जो पव्वे शराब के थे, वो बताये थे। उसने पुलिस वालों को अंग्रेजी शराब जिन होना बताया था, उसने घूमर शराब होने के लिए पुलिस वालों को कथन नहीं किया। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने शराब अपनी दुकान से दी थी। इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने मात्र इस परिस्थिति को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से जोड़ते हुए यह माना है कि अभियुक्तगण गवाह पन्नासिंह से शराब लेकर गये, उन्होंने शराब पी तथा जमनी विवाद होने के कारण अभियुक्तगण ने मृतक उदयसिंह की हत्या कर दी। तर्क के तौर पर यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त किशनलाल गवाह पन्नासिंह से शराब खरीदकर ले भी गया, तो भी यह नहीं माना जा सकता

कि अभियुक्तगण ने उदयसिंह की हत्या की हो, जब तक कि अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य इसका समर्थन नहीं करते हों। अनुसंधान अधिकारी द्वारा खेत से उक्त शराब के खाली कांच के पव्वों को जब्त किया जाना बताया है और जब्ती प्रदर्श पी 16 तैयार की, लेकिन निष्पक्ष गवाह प्रकाशसिंह व मोतीसिंह, जिनको गवाह पी.डब्ल्यू. 7 एवं पी.डब्ल्यू. 8 के रूप में न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है, इस बरामदगी को स्पष्टतः इन्कार करते हैं और कथन करते हैं कि इनके समक्ष प्रदर्श पी 16 में बताई गई कोई बरामदगी नहीं की गई। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जब्तशुदा शराब के पव्वों की ऐसी कोई पहचान गवाह पी.डब्ल्यू. 1 पन्नासिंह, जिसके पास से अभियुक्त किशनलाल के द्वारा शराब खरीदकर ले जाना बताया है, से भी कोई पहचान नहीं कराई गई कि ये वही खाली पव्वे हैं जो अभियुक्त किशनलाल उससे खरीदकर ले गया था। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से शराब के खाली पव्वों की बरामदगी एवं गवाह पन्नासिंह से शराब ले जाने के अतिरिक्त कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है जिसके आधार पर युक्तियुक्त सन्देह से परे यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण के द्वारा ही उदयसिंह की हत्या की गयी थी।

34. दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी ने कथित रूप से अभियुक्तगण द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अधीन दी गयी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण की निशांदेही से घटनास्थल को तस्दीक किया तथा अभियुक्तगण की सूचना के आधार पर ही हत्या में प्रयुक्त किये गये हथियारों की बरामदगी की गई एवं अभियुक्तगण के कपड़े, जिन पर खून लगा हुआ था, बरामद किये गये। न्यायालय को यह देखना है कि **''आया अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ही घटनास्थल तस्दीक किया गया एवं हथियारों की बरामदगी की गई ?''**

इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 20 शैतानसिंह के कथनानुसार अभियुक्तगण ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत जो सूचनायें दीं वे प्रदर्श पी 37 लगायत 42 तक बताई गई हैं। अभियुक्तगण के द्वारा

वास्तव में इस प्रकार की कोई सूचना अनुसंधान अधिकारी को दी गई हो इस बाबत् कोई भी निष्पक्ष गवाह पत्रावली पर नहीं है। कथित प्रकार से दी गई सूचना के आधार पर अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जो जब्ती की गई है उसके संबंध में प्रदर्श पी 7 लगायत प्रदर्श पी 19 दस्तावेजात को अभियोजन पक्ष ने प्रदर्शित करवाया है और इनके निष्पक्ष गवाह के रूप में पी.डब्ल्यू. 7 प्रकाशसिंह व पी.डब्ल्यू. 8 मोतीसिंह को रखा है। जब इन दोनों गवाहान को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया तो ये दोनों ही गवाह पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उनके समक्ष अनुसंधान अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की गई और न ही किसी घटनास्थल को तस्दीक किया गया। यद्यपि इन गवाहान ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 7 लगायत प्रदर्श पी 19 तक के दस्तावेजात पर उनके हस्ताक्षर हैं, लेकिन जिरह में इन गवाहान ने यह कहा है कि उनसे सभी फर्दों पर कुंए पर ही हस्ताक्षर करवाये थे, कोई भी फर्द उन्हें पढ़कर नहीं सुनाई गई और जिरह में भी इन दोनों गवाहान ने यह स्पष्ट कहा है कि उनके समक्ष मुलजिमान से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की गई। इस प्रकार अभियोजन पक्ष उस महत्वपूर्ण साक्ष्य को भी युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अभियुक्तगण के द्वारा ही उदयसिंह की हत्या की गई थी।

इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा कथित रूप से अभियुक्तगण की निशांदेही एवं उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जिन हथियारों को एवं कपड़ों को जब्त किया गया था उन्हें वास्ते परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया गया, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श सी–1 पत्रावली पर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट के अवलोकन से इस प्रकार का कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रकट नहीं होता जिसके आधार पर पूर्ण विश्वास किया जाकर अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध साबित माना जा सके। प्रथमतः तो हथियारों की एवं कपड़ों की बरामदगी ही साबित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह साबित नहीं है कि कपड़ों एवं हथियारों पर पाया गया खून मृतक का ही है अथवा उसी के ग्रुप का है। तर्क के तौर पर यह मान भी लिया जाये कि कपड़ों एवं हथियारों

पर लगा खून मृतक का ही था, तो भी यह साक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य है जिसके आधार पर अभियुक्तगण को दोषी करार दिया जाना सुरक्षित नहीं माना जा सकता।

अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण को घटना के करीब पांच दिन बाद ही गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 13 राकेश कुमार को परीक्षित कराया गया है, जो पुलिस थाना केलवाड़ा में कांस्टेबल के पद पर था। यह गवाह कहता है कि दिनांक 05.04.2021 को अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण हीरासिंह, प्रेमसिंह, किशनसिंह, नारूराम व भैरूलाल को थाने पर गिरफ्तार किया था, जबकि जिरह में यह कहता है कि जब मुलजिमान को गिरफ्तार किया था तो उनके पहने हुए कपड़ों पर खून लगा हुआ था, लेकिन थानेदार जी ने उसके समक्ष खून लगे हुए कपड़े जब्त नहीं किये थे, जबकि अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जब्ती दिनांक 07.04.2021 को बनाई गई है। यह तथ्य सामान्य तौर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि अभियुक्तगण उदयसिंह की हत्या किये जाने के पश्चात् खून से सने कपड़े पहनकर ही घूम रहे हों। पत्रावली पर गवाह मोतीसिंह व प्रकाशसिंह द्वारा दिये गये बयान अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अवलोकन किया गया तो दोनों ही गवाहान के बयानों में यह तथ्य अंकित है कि उनके द्वारा दिनांक 31.03.2021 को दिन में करीब 1:00 बजे यह सुना गया था कि अभियुक्तगण अपने घर में बैठकर उदयसिंह की हत्या किये जाने की साचिश कर रहे थे। इन कथनों के संबंध में भी दोनों गवाहान ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्ट इन्कारी की है। इस प्रकार उपर्युक्त प्रकार से किये गये विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष यह अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा अभियुक्तगण हीरासिंह व नाथीबाई को अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 302/149, 201, 114, 115 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्तगण किशन, भैरू व प्रेमसिंह को अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 302/149, 201 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त नारू को अपराध

अन्तर्गत धारा 302/109 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ प्रदत्त कर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

35. निष्कर्षतः अभियुक्तगण **हीरासिंह पुत्र मोतीसिंह**, निवासी बड़गांव परमारों की भागल, पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद व **श्रीमती नाथीबाई पत्नी हीरासिंह**, निवासी बड़गांव परमारों की भागल, पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 302/149, 201, 114, 115 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्तगण **किशन पुत्र कुरा उर्फ पुरा**, निवासी रूपी टांकड़ी बड़गांव पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद, **भेरू पुत्र पेमाराम**, निवासी बड़गांव पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद एवं **प्रेमसिंह पुत्र मदनसिंह**, निवासी समीचा मेफावतों का वास, पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 302/149, 201 भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्त **नारू पुत्र लाला**, निवासी बड़गांव, पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला राजसमंद को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302/109 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ प्रदत्त कर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल कुल्हाड़ी–2 एवं गैंती–2 तथा कपड़े, टीशर्ट, लुंगी, बोरियां, चद्दर, मिट्टी, पव्वे बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किये जावे।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

36. निर्णय आज दिनांक **14.05.2026** को लिखाया जाकर, विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a
Digitally signed by d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a
Date: 2026.05.25 19:48:58 +05'30'